स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

22. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में किन-किन वस्तुओं या मदों के लिये सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है;

(ख) इन संगठनों को दिये जाने वाले अनुदानों के मुख्य निबन्धन तथा शर्तें क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार इन संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग किये जाने पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) विवरण संलग्न है **[देखिये** परिशिष्ट 149, **अनुपत्र** संख्या 3]

(ख) अनुदान विभिन्न योजनाओं के अनतर्गत संस्वीकृत किए जाते हैं। बशर्ते कि गैर-सरकारी संगठनों को अनुदानों की संस्वीकृति को अभिशासित करने वाली सामान्य शर्तें हों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक करार-बंध का निष्पादन, उपयुक्त लेखों का रख-रखाव, परीक्षित-लेखों और उपयोगिता-प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना, सरकारी-अनुदानों आदि में से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से अर्जित परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का रख-रखाव शामिल है। अनुदानग्राही संस्था के लेखों की भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा कभी भी परीक्षा-जांच की जा सकती है। उन लेखों की जांच भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है। परीक्षा जांच के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार स्वैच्छिक ऐजेन्सियों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी कर सकती है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों और अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को मुक्त की गई निधियों के उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी वास्तविक उपलब्धियों पर प्रगति-रिपोर्टें उनसे आवधिक रूप से प्राप्त की जाती हैं। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि उन्हें मुक्त की गई राशियों के संबंध में वे वित्तीय-वर्ष की समाप्ति के बाद उपयोगिता-प्रमाणपत्रों सहित व्यय के परीक्षित लेखे प्रस्तुत करें। जहां निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता, वहां आगे के वर्ष में इन संगठनों को अनुमत्य सहायता-अनुदान में खर्च न किए गए शेष को समायोजित कर दिया जाता है।

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय

23. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में जिलावार, कितने नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) इन विद्यालयों में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) निकट भविष्य में इस राज्य में कितने अतिरिक्त नवोदय विद्यालय खोले जाने की संभावना है और उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) नवोदय विद्यालयों के स्थान दर्शाने वाले जिलों की एक सूची संलग्न है (**नीचे** देखिये) जबकि जिलावार कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी ऐसा अनुमान है कि 50% से अधिक नवोदय विद्यालय पिछड़े समझे जाने वाले जिलों में खोले गए हैं।

(ख) सभी नवोदय विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध किया जाएगा। बोर्ड द्वारा माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठयचर्या इन विद्यालयों के लिए भी लागू होगी। विद्यालयों में चार शैक्षिक विषय होंगे अर्थात मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक। शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद, योगा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप और ललित कलाएं, परियोजना कार्य, शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अभिरुचि के स्थानों की पदयात्रा और कार्य अनुभव को परिश्रम पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जाएगा और इनके लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे।

(ग) भावी वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए नए नवोदय विद्यालय खोलने से संबंधित योजना को धीमा कर दिया गया है।